सत्यमेव जयते

संख्या–3184/जी0एस0/शिक्षा/C 5-1/2011

प्रेषक,

अशोक,
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादूनः दिनांकः 24 नवम्बर, 2011

विषयः– **यू0जी0सी0 रेग्युलेशन 2010 के अनुरुप विश्वविद्यालय में शिक्षकों के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति के गठन सम्बन्धी प्राविधान का परिनियमावली में समावेश।**

महोदय,

यू0जी0सी0 रेग्युलेशन 2010 के प्राविधानों को विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्रतिस्थापित/स्थापित किये जाने विषयक आपके पत्र स0 1412/संयोजन/2010 दिनांक 27–09–2010 के क्रम में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु समिति के गठन में एकरुपता लाये जाने के दृष्टिगत, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिनियम { उत्तरांचल (उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) अधिनियम 2005} की धारा 50(4) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन, 2010 में प्राविधानित प्रवक्ता/सहायक प्राध्यापक, उपाचार्य/रीडर/सह–प्राध्यापक और आचार्य/ प्राध्यापक के चयन के लिए 'चयन समिति के गठन' सम्बन्धी प्राविधान के अनुरुप निम्नानुसार अंकित प्राविधान को कार्यपरिषद में विचारोपरान्त प्रतिस्थापित किये जाने की महामहिम/कुलाधिपति द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

शिक्षकों के चयन के लिए समितिः
सहायक प्राध्यापक/प्रवक्ता–

(अ) विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक/प्रवक्ता के पद हेतु चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगीः–

1. कुलपति, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. **विश्वविद्यालय के सम्बन्धित वैधानिक निकाय अर्थात कार्यपरिषद एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ।**
3. सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष, जहॉ लागू हो।
4. संबंधित विभाग/स्कूल का विभागाध्यक्ष।
5. कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्।

अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रूप से अशक्त के प्रतिनिधि के रूप में कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद् वशर्ते कि इन श्रेणीयों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।

(ब) चयन समिति की गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी बशर्ते कि उसमें 2 वाहय विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हों।

क्रमशः–––2/–

सह–प्राध्यापक / उपाचार्य / रीडर–

(अ) विश्वविद्यालय में सह–प्राध्यापक / उपाचार्य / रीडर के पद हेतु चयन समिति की संरचना निम्नानुसार होगीः–

1. कुलपति, चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद्।
3. **विश्वविद्यालय के सम्बन्धित वैधानिक निकाय अर्थात कार्यपरिषद एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ।**
4. सम्बन्धित संकाय का संकायाध्यक्ष, जहाँ लागू हो।
5. संबंधित विभाग / स्कूल का विभागाध्यक्ष।
6. अनुसूचित / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक / महिला / शारीरिक रूप से अशक्त के प्रतिनिधि के रूप में कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद् वशर्ते कि इन श्रेणीयों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।

(ब) चयन समिति की गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी बशर्ते कि उसमें 2 वाहय विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हों।

प्राध्यापक / आचार्य–

विश्वविद्यालय में प्राध्यापक / आचार्य के पद हेतु चयन समिति की संरचना सह–प्राध्यापक के पद के लिये गठित चयन समिति की संरचना के समान होगी।

कृपया तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अशोक)
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।

संख्या– 3184 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / C 5-1 / 2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

(अशोक)
कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।